अध्याय – 5
खनन प्राप्तियाँ

अध्याय–5
खनन प्राप्तियाँ

5.1 कर प्रशासन

खनिज संसाधन विभाग, सचिव खनन, मध्यप्रदेश शासन के समग्र प्रभार के अधीन कार्य करता है। संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग प्रमुख है, जिसकी सहायता के लिए चार क्षेत्रीय प्रमुख इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर तथा रीवा में, 50 जिला खनिज अधिकारी, जिला स्तर पर तथा एक हीरा अधिकारी, पन्ना में है। सहायक जिला खनिज अधिकारी एवं खनन निरीक्षक जिला खनिज अधिकारियों को उनके कार्य में सहायता करते हैं। जिला खनिज अधिकारी, सहायक जिला खनिज अधिकारी तथा खनन निरीक्षक जिला स्तर पर कलेक्टर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रहते हैं। खनन प्राप्तियाँ निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अधीन संग्रहीत की जाती है :

- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957;
- खनिज रियायत नियम, 1960,
- खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988,
- संगमरमर विकास एवं संरक्षण नियम, 2002,
- मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996,
- मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम) नियम, 2006,
- मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास अधिनियम, 2005,
- कोयला खदान नियंत्रण नियम, 2004, तथा
- कोल बियरिंग क्षेत्र अधिनियम, 1957

चार्ट 5.1 : संगठनात्मक ढांचा

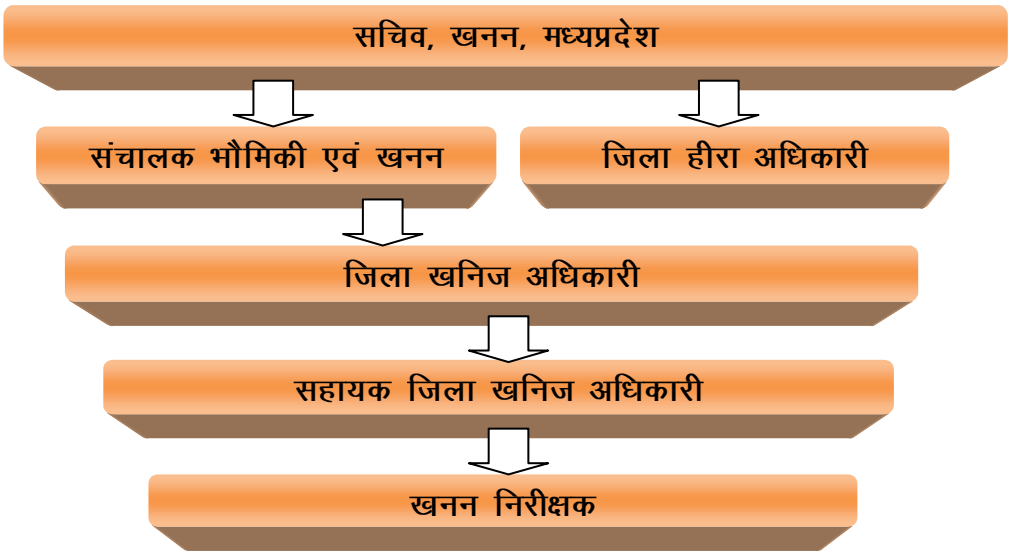

5.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है और प्रायः इसे सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह संगठन को सुनिश्चित करने में सहायता करता है कि संगठन निर्धारित प्रणाली के अनुरूप कार्य कर रहा है। विभाग ने बताया कि विभाग में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा विद्यमान नहीं है, एवं इसीलिए विभाग द्वारा खनिज इकाईयों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।

इस अध्याय की कंडिका 5.4 से 5.13 तक में सम्मिलित सभी लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को हमारे पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी सम्मिलित किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के न होने से ये लेखापरीक्षा प्रेक्षण पुनः वर्ष–प्रतिवर्ष परिलक्षित हो रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप विभाग को राजस्व की कम प्राप्ति हो रही है।

5.3 लेखापरीक्षा परिणाम

हमने वर्ष 2015–16 में खनन प्राप्तियों से संबंधित प्रकरणों की 51 इकाईयों में से 32 इकाईयों के अभिलेखों की जिसकी नमूना जांच में 1,501 प्रकरणों में ₹ 227.96 करोड़ के राजस्व की वसूली न होना/कम वसूली होना एवं अन्य अनियमितताएं प्रकट हुई, जिन्हें **तालिका 5.1** में उल्लेखित निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया है।

तालिका 5.1

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	अनिवार्य किराया/रायल्टी के अनारोपण के प्रकरण	418	5.03
2.	ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर के अवनिर्धारण के प्रकरण जिनका निर्धारण नहीं किया गया	244	74.47
3.	व्यापारिक खदानों में संविदा राशि की कम वसूली	31	0.95
4.	विलंबित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण	226	6.23

			(₹ करोड़ में)
स.क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
5.	अन्य प्रेक्षण (ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर के विलंबित भुगतान पर शास्ति के प्रकरण, शासकीय कंपनी द्वारा तांबा निर्यात के प्रकरण जो कि राजस्व से संबंधित नहीं, पर्यावरण अनुमति न मिलने के कारण खदानों की नीलामी एवं संचालन न होना, इत्यादि)	582	141.28
	योग	**1,501**	**227.96**

चार्ट 5.2 : लेखापरीक्षा परिणाम

(1501 प्रकरणों में ₹ 227.96 करोड़ राशि सम्मिलित)

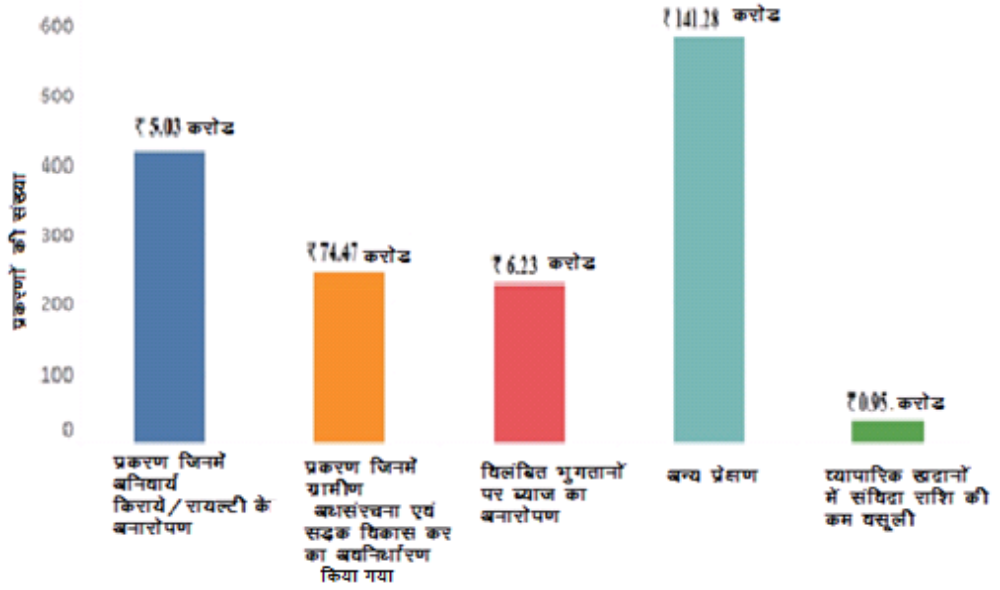

विभाग ने 1,500 प्रकरणों में ₹ 227.71 करोड़ के राजस्व की वसूली न होना/कम वसूली होना एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हे वर्ष 2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था।

विभाग द्वारा 151 प्रकरणों में ₹ 4.97 करोड़ की वसूली की गई, जिसे **तालिका 5.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.2

लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के विरूद्ध विभाग द्वारा की गई वसूली को दर्शाने वाली तालिका :–

वर्ष जिससे वसूली संबंधित है	राशि (लाख में)	प्रकरण
2011–12	4.94	7
2012–13	7.88	16
2013–14	11.09	25
2014–15	472.93	103
योग	**496.84**	**151**

समस्त प्रेक्षणों को शासन एवं संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म को संसूचित किया था।

इस अध्याय में सम्मिलित कंडिकाओं पर चर्चा हेतु विभाग के साथ दिनांक 28 सितम्बर 2016 को एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान विभाग द्वारा दिए गए उत्तर सबंधित कंडिकाओं में सम्मिलित किए गए।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को दर्शाते हुये कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण जिनमें ₹ 43.91 करोड़ की राशि अंतर्निहित है, का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

5.4 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस पर छूट की वसूली नहीं किया जाना

पट्टेदार द्वारा आवंटित खदानों पर निर्धारित तिथि तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया गया जबकि उसके द्वारा राज्य शासन की औद्योगिक नीति के तहत मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस में लाभ लिया गया। पट्टा आवंटन के अनुबन्ध की शर्तों को पूर्ण न करने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस पर दी गई छूट की राशि ₹ 9.46 करोड़ एवं उस पर देय ब्याज की राशि ₹ 8.08 करोड़ की विभाग द्वारा वसूली नहीं की गई।

मध्यप्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य से स्थानीय जनसंख्या के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने एवं राज्य के खनिज संसाधनों का वैज्ञानिक तरीके से दोहन करने हेतु मेसर्स अभिजीत सीमेन्ट लिमिटेड, नागपुर (ए.सी.एल.) एवं राज्य शासन के मध्य दिनांक 16 फरवरी 2008 को यंत्र स्थापना के लिए; (अ) 2.5 एम.टी.पी.ए. की क्षमता का सीमेंट प्लांट, (ब) 2.5 एम.टी.पी.ए. की क्षमता की चूना पत्थर खदान, (स) 50 एम.डब्ल्यू. का केप्टिव पावर प्लांट एवं (द) प्रथम चरण में कोयला खदान के लिए ₹ 800 करोड़ के निवेश के लिए एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया। ए.सी.एल. द्वारा मध्यप्रदेश में कुल ₹ 1,210 करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया गया।

तत्पश्चात् 26 जून 2010 को राज्य शासन द्वारा प्रबन्ध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड एवं ए.सी.एल. के मध्य मुरैना जिला में ₹ 1,162 करोड़ का निवेश सीमेंट उत्पादन हेतु अनुबंधित किया गया। उद्योग विभाग के पत्र दिनांक 23.11.2009 के अनुसार कम्पनी को इस छूट की उपलब्धता दिनांक 31.03.2012 तक उत्पादन प्रारम्भ किए जाने की शर्त पर थी। आगे, राज्य शासन द्वारा जारी पत्र दिनांक 16 जून 2016 के अनुसार समझौते के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य शासन को इस सुविधा को कम्पनी से वापस लेने या राशि की वसूली 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित करने का अधिकार था, यदि राज्य शासन के विचार में कम्पनी द्वारा किसी बिन्दु पर कोई सारभूत तथ्य छुपाया या कोई असत्य विवरण ऐसा लाभ प्राप्त करने हेतु दिया है।

दिनांक 3 जुलाई 2010 के अनुबंध अनुसार कम्पनी को 645.636 हेक्टेयर भूमि पर चूना पत्थर खदान का पट्टा 30 वर्ष हेतु आवंटित किया गया। आगे, शासन के पत्र दिनांक 16 जून 2010 के अनुसार खनि पट्टे के पंजीयन पर मुद्रांक शुल्क में छूट प्रदान की गई, जिसके अनुसार कम्पनी को केवल दो प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क या ₹ 2 लाख, जो भी कम हो, का आरोपणीय था।

शासन के पत्र दिनांक 07 जनवरी 2009 द्वारा ए.सी.एल. को चूना पत्थर खदान का आवंटन निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन किया गया :–

1. आवेदक कम्पनी यह सुनिश्चित करे कि आवंटित क्षेत्र वन संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों से प्रभावित नहीं है।

2. भारत शासन, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिनांक 14 सितम्बर 2006 को जारी अधिसूचना के अनुसार कार्यवाही की जावे। मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के पत्र अनुसार कम्पनी को 31 मार्च 2012 तक वाणिज्यिक उत्पादन

प्रारंभ करना था। इस पत्र में आगे यह भी उल्लेखित किया गया कि कम्पनी को उक्त सभी लाभ लेने की पात्रता केवल तभी होगी जब वह 31 मार्च 2012 या उसके पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर देगी।

कम्पनी के निवेदन पर, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 23 नवम्बर 2009 के अनुसार वाणिज्यिक उत्पादन हेतु 31 मार्च 2012 तक अवधि बढ़ाई गई, जो पूर्व में 31 मार्च 2011 थी।

जिला खनिज अधिकारी, मुरैना की लेखापरीक्षा के दौरान हमने अवलोकित किया (जुलाई 2015) कि ए.सी.एल को खनि पट्टे अनुबंध के पंजीयन हेतु मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस में राशि ₹ 9.46 करोड़ की छूट प्रदान की गई। आगे अवलोकित किया कि ए.सी.एल द्वारा चूना पत्थर खदान में वाणिज्यिक उत्पादन जुलाई 2015 तक भी प्रारंभ नहीं किया, यद्यपि उक्त शर्तों के अनुसार 31 मार्च 2012 या उसके पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर देना चाहिए था। अतः अनुबंध की शर्तों के उल्लघंन के कारण, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 9.46 करोड़ की दी गई छूट कम्पनी से वसूली योग्य थी। आगे, दिनांक 16 जून 2010, को निष्पादित अनुबंध की शर्त 5 के अनुसार, 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज की राशि ₹ 8.08 करोड़ (3 जुलाई 2010 से 31 मार्च 2015 तक) भी आरोपणीय थी। इस प्रकार, कुल राशि ₹ 17.54 करोड़ कम्पनी से वसूली योग्य थी जैसा कि **परिशिष्ट–XX** में दर्शाया गया है।

हमारे द्वारा इंगित करने (जुलाई 2015) पर जिला खनिज अधिकारी, मुरैना द्वारा बताया गया कि चूंकि छूट शासकीय समिति द्वारा प्रदान की गई थी इसलिए कार्यवाही शासन द्वारा की जाएगी।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को (जुलाई 2016) प्रतिवेदित किया। विभाग द्वारा भी कहा गया कि कार्यवाही शासन द्वारा की जाएगी क्योंकि छूट शासन द्वारा प्रदान की गई थी (सितम्बर 2016)। विभाग द्वारा बैठक (सितम्बर 2016) में बताया कि जिला खनिज अधिकारी, मुरैना से विस्तृत जानकारी मांगी गई है एवं प्रतीक्षित है एवं विस्तृत उत्तर तद्नुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

5.5 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अनारोपण/कम आरोपण

5.5.1 खनि पट्टे/उत्खनि पट्टे

बाईस खनि पट्टों/उत्खनि पट्टों के अनुबन्ध, असम्यक रूप से मुद्रांकित अनुबंधपत्र पर निष्पादित किये गये। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 4.19 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अनारोपण/कम आरोपण हुआ।

मध्यप्रदेश शासन खनिज संसाधन विभाग के अनुदेशों (मार्च 1993) के अनुसार नये खनि पट्टों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस, औसत वार्षिक रॉयल्टी/बाजार मूल्य पर आरोपणीय है जिसकी गणना, खनि पट्टे हेतु आवेदन में दर्शायी गई मात्रा या माइनिंग प्लान में दी गई उत्पादन मात्रा जो भी अधिक हो, के आधार पर की जायेगी। आगे, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 33 के अनुसार मुद्रांक शुल्क का आरोपण हस्तांतरित संपत्ति के बाजार मूल्य की राशि पर लगने वाली दर से या पांच से 30 वर्ष तक अवधि के पट्टे के लिए मुद्रांक शुल्क की राशि औसत वार्षिक रॉयल्टी के बाजार मूल्य के डेढ़ से पांच गुने पर पट्टे की अवधि पर निर्भर करेगी या पांच प्रतिशत की दर से आरोपणीय होगी। इसके अतिरिक्त भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के अनुसार देय मुद्रांक शुल्क का 75 प्रतिशत पंजीयन फीस के रूप में देय होगा। आगे, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 33 के साथ पठित धारा 35 के अनुसार, प्रत्येक लोक अधिकारी, उसकी राय में शुल्क से प्रभार्य कोई लिखत उसके कृत्यों के पालन में पेश की जाती है या आ जाती है, उस दशा में उसे परिबद्ध करेगा जिसमें यह प्रतीत होता है कि ऐसी लिखत सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं है उसे देय

उचित मुद्रांक शुल्क के निर्धारण के लिए मुद्रांक कलेक्टर को संदर्भित करेगा। अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित विलेख साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किए जा सकेंगे जब तक कि ऐसे विलेखों में कम भुगतान किये गये शुल्क के भुगतान के साथ कम भुगतान किये गये शुल्क के दस गुना के बराबर शास्ति की राशि का भुगतान कर सम्यक रूप से मुद्रांकित नहीं कर दिया जाता।

हमने छः जिला खनिज कार्यालयों[1] के (मई 2015 से जनवरी 2016 के मध्य) 63 खनि पट्टेदारों में से 21 एवं 170 उत्खनि पट्टेदारों में से 118 की नमूना जांच की, जांच के दौरान पाया कि मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड (एम.पी.एस.एम.सी.एल.) को 2011–15 की अवधि के लिए पट्टे स्वीकृत थे एवं निगम द्वारा पट्टेदारों के साथ 22 खनि/उत्खनि पट्टों का अनुबंध किया। अनुबंधो पर राशि ₹ 4.26 करोड़ मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपण योग्य थी। इसके विरूद्ध केवल ₹ सात लाख की राशि का आरोपण किया गया। परिणामस्वरूप ₹ 4.19 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण/अनारोपण हुआ (**परिशिष्ट–XXI**)। संबंधित जिला खनिज अधिकारियों को लोक अधिकारी होने के नाते अनुचित रूप से मुद्रांकित अनुबंधों को स्वीकार नहीं कर उन्हें मुद्रांक संग्राहक को उचित शुल्क के निर्धारण हेतु संदर्भित किया जाना चाहिये था।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को (दिसम्बर 2015 एवं अप्रैल 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। विभाग द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं उनके उत्तर (जुलाई 2016) में बताया कि इन सभी प्रकरणों में संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

तथापि विभाग द्वारा बैठक (सितम्बर 2016) में बताया कि उनके द्वारा समस्त प्रकरण जिला पंजीयक को मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस भारित किए जाने हेतु अग्रेषित किये जाते हैं जिसके आधार पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस राशि की वसूली की गई है।

हम उत्तर से सहमत नहीं है, क्योंकि व्यापारिक खदानों के प्रकरण में, ₹ 100 के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित किए गए थे। इससे स्पष्ट होता है कि जिला पंजीयक द्वारा मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि का निर्धारण नहीं किया गया था।

5.5.2 व्यापारिक खदानें

विभागीय निर्देशों के अनुसार संविदा धन की पूरी राशि पर मुद्रांक शुल्क का आरोपण करने के स्थान पर व्यापारिक खदानों के अनुबंध कम राशि के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किये गये। परिणामस्वरूप ₹ 7.66 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की वसूली नहीं हुई/कम वसूली हुई।

मध्यप्रदेश शासन, खनिज संसाधन विभाग द्वारा जारी अनुदेशों (मार्च 1993) के अनुसार, मुद्रांक शुल्क के आरोपण हेतु व्यापारिक खदानों पर संविदा राशि की सम्पूर्ण राशि को प्रीमियम माना जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, भारतीय पंजीयन अधिनियम, 1908 के अनुसार, मुद्रांक शुल्क के 75 प्रतिशत की दर से पंजीयन फीस आरोपणीय होगी।

हमने जिला खनिज कार्यालय हरदा के प्रकरणों की संवीक्षा के दौरान (मई 2015 से जनवरी 2016 के मध्य) पाया कि नमूना जांच किये गये सभी तीन प्रकरणों में उक्त निर्देशों के अनुसार मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 7.66 करोड़ आरोपणीय थी। तथापि ₹ 100 के स्टाम्प पेपर पर संविदा अनुबंध निष्पादित किये गये। परिणामस्वरूप ₹ 7.66 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ। (**परिशिष्ट–XXII**)

[1] छतरपुर, छिंदवाड़ा, डिंडौरी, हरदा, सिंगरौली एवं उमरिया

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को (दिसम्बर 2015 एवं अप्रैल 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। विभाग द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं उत्तर (जुलाई 2016) में बताया कि इन सभी प्रकरणों में संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

तथापि विभाग ने बैठक (सितम्बर 2016) में बताया कि उनके द्वारा समस्त प्रकरण जिला पंजीयक को मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस भारित किए जाने हेतु अग्रेषित किये जाते हैं, जिसके आधार पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस राशि की वसूली की गई है।

हम उत्तर से सहमत नहीं है, क्योंकि व्यापारिक खदानों के प्रकरण में, ₹ 100 के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित किए गए थे। इससे स्पष्ट होता है कि जिला पंजीयक द्वारा भारित किए जाने योग्य मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि का निर्धारण नहीं किया गया था।

5.6 ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर का अनारोपण/कम वसूली होना

अवधि 2014–15 के लिए 99 खनि पट्टेदारों द्वारा देय ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर की भुगतान योग्य राशि ₹ 17.89 करोड़ के विरूद्ध ₹ 11.91 करोड़ का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 5.98 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम, 2005 के प्रावधानों एवं सितम्बर 2005 की अधिसूचना के अनुसार, ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर का आरोपण, उत्पादित मुख्य खनिजों के बाजार मूल्य में से पट्टाधारक द्वारा वास्तविक रूप से भुगतान की गई रॉयल्टी की राशि घटाने के बाद शेष राशि के पांच प्रतिशत वार्षिक दर से एवं शिथिल खदानों पर ₹ 4,000 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से खनि पट्टों के पट्टाधारकों पर किया जायेगा। आगे, कार्यशील खदानों के प्रकरण में ग्रामीण अवसंरचरना एवं सड़क विकास कर, दो पूर्ववर्ती वर्षों के विक्रय मूल्य के औसत के पांच प्रतिशत वार्षिक दर से देय होगा। अधिनियम के नियम–7 के अनुसार प्रत्येक पट्टाधारक को प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन तक कर जमा करना था। यदि कर जमा नहीं किया जाता तो पट्टाधारक को युक्तियुक्त अवसर देते हुए सुनवाई के उपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 4(2) के अन्तर्गत देय कर के अधिकतम तीन गुना तक शास्ति आरोपित करने का अधिकार था। धारा 4 की उपधारा 5 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा भुगतान न की गई कर एवं शास्ति की राशि की वसूली भू–राजस्व के बकाया के तौर पर की जायेगी।

हमने 10 जिला खनिज कार्यालयों[2] में मुख्य खनिजों के खनि पट्टों की वैयक्तिक नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (अप्रैल 2015 एवं मार्च 2016 के मध्य) कि नमूना जांच किये गये 314 पट्टेदारों में से 98 पट्टेदारों ने 2012–15 की अवधि हेतु शिथिल खदानों पर ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर की राशि ₹ 2.34 करोड़ का भुगतान नहीं किया एवं केवल एक पट्टेदार द्वारा भुगतान योग्य राशि ₹ 15.55 करोड़ के विरूद्ध राशि ₹ 11.91 करोड़ का भुगतान किया गया। विभाग निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कर संग्रहण की तिमाही व्यवस्था के अनुपालन में विफल रहा एवं नियमानुसार कर का संग्रहण नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.98 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा इन प्रकरणों को इंगित किये जाने पर जिला खनिज अधिकारी, कटनी ने बताया कि राशि ₹ 6.57 लाख की वसूली की जा चुकी है एवं शेष राशि हेतु मांग पत्र

2 बालाघाट, छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, मंदसौर, नीमच, सतना एवं शहडोल

जारी किए गए हैं; जिला खनिज अधिकारी, दमोह द्वारा बताया कि वसूली हेतु मांग पत्र जारी किए गए हैं; अन्य जिला खनिज अधिकारियों (अप्रैल 2015 एवं मार्च 2016 के मध्य) ने बताया कि भुगतान योग्य राशि की वसूली कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को (सितम्बर 2015 एवं अप्रैल 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। विभाग द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं उनके उत्तर (जुलाई 2016) में बताया कि जिला खनिज अधिकारी, शहडोल द्वारा राशि ₹ 0.27 लाख की वसूली की गई है एवं अन्य प्रकरणों में संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा वसूली की कार्यवाही की जा रही है। विभाग द्वारा बैठक (सितम्बर 2016) में बताया कि वसूली प्रक्रियाधीन है।

5.7 खनिपट्टों पर रॉयल्टी के विलंबित भुगतानों पर ब्याज की वसूली न होना/कम वसूली होना

पट्टेधारकों द्वारा रॉयल्टी के विलंबित भुगतान पर विभाग द्वारा नियमों के प्रावधानों के अनुसार 18 खनि पट्टेधारकों पर ब्याज ₹ 5.67 करोड़ का आरोपण नहीं किया।

खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 64(ए) के अनुसार पट्टाधारक को निर्धारित तिथि पर रॉयल्टी एवं अनिवार्य किराया का भुगतान करना होता है, इसमें विफल होने पर वह निश्चित तिथि की समाप्ती के 60 दिन से ऐसे रॉयल्टी के भुगतान होने तक 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का दायी होगा।

हमने छः जिला खनिज कार्यालयों[3] में प्रकरणों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (अप्रैल 2015 एवं मार्च 2016 के मध्य) कि नमूना जांच किए गए 218 पट्टेदारों में से 18 पट्टेदारों ने अप्रैल 2013 से मार्च 2015 की अवधि हेतु रॉयल्टी का भुगतान जुलाई 2011 से जनवरी 2015 के मध्य 60 दिनों की निर्धारित तिथि व्यतीत होने के पश्चात् 45 से 1,101 दिन के विलम्ब से किया। जिला खनिज अधिकारियों द्वारा विलम्बित भुगतानों पर ब्याज की राशि ₹ 5.67 करोड़ की वसूली नहीं की गई। परिणामस्वरूप रॉयल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज की राशि ₹ 5.67 करोड़ की वसूली नहीं की गई।

हमारे द्वारा इन प्रकरणों को इंगित किये जाने पर (मार्च 2015), जिला खनिज अधिकारी कटनी ने बताया कि राशि ₹ 9.99 लाख की पूर्ण वसूली की जा चुकी है; जिला खनिज अधिकारी, खरगोन द्वारा बताया गया कि भुगतान योग्य राशि की वसूली कर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाएगा। अन्य जिला खनिज अधिकारियों द्वारा बताया गया कि प्रकरणों की संवीक्षा कर वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को (दिसम्बर 2015 एवं अप्रैल 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। संचालक, भौमिकी एवं खनन द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं उत्तर (जुलाई 2016) में बताया कि जिला खनिज अधिकारी नीमच द्वारा राशि ₹ 80,000 की वसूली की गई है एवं अन्य प्रकरणों में संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा वसूली की कार्यवाही की जा रही है। विभाग द्वारा एक बैठक (सितम्बर 2016) में बताया कि राशि की वसूली की जाएगी।

[3] कटनी, खरगोन, नीमच, रीवा, सतना एवं सीधी

5.8 उत्खनि पट्टे/खनि पट्टों के लिए अनिवार्य किराये की वसूली न होना/कम वसूली होना

विभाग द्वारा 131 उत्खनि एवं खनि पट्टेधारकों से अनिवार्य किराये की वसूली योग्य राशि ₹ 1.23 करोड़ के विरूद्ध ₹ 9.82 लाख वसूल किये। परिणामस्वरूप ₹ 1.13 करोड़ के अनिवार्य किराये की वसूली नहीं हुई।

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम, 30 (1) (क) के अनुसार प्रत्येक पट्टेदार प्रथम वर्ष को छोड़कर, प्रत्येक वर्ष के लिए प्रत्येक माह की 20 तारीख या उससे पूर्व अनुसूची चार में विनिर्दिष्ट दरों पर पूरे वर्ष के लिए अनिवार्य किराये का अग्रिम भुगतान करेगा।

खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1957 की धारा 9(क)(i) एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार प्रत्येक पट्टेधारक को प्रत्येक वर्ष पट्टे में सम्मिलित सभी क्षेत्रों के सम्बन्ध में अनुसूची–III में उल्लिखित दरों से राज्य शासन को अनिवार्य किराये का भुगतान करना होगा लेकिन जहाँ पट्टाधारक निष्कासित या उपयोग किये गये किसी खनिज के लिए रॉयल्टी का भुगतान करने का दायी हो जाता है तो वह उसे क्षेत्र के संबंध में ऐसे रॉयल्टी या अनिवार्य किराये, जो भी अधिक हो, का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा।

हमने 14 जिला खनिज कार्यालयों[4] के पट्टेदारों की वैयक्तिक नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (अप्रैल 2015 से फरवरी 2016 के मध्य) कि नमूना जांच किये गये 407 पट्टेदारों में से 95 पट्टेदारों ने अनिवार्य किराये की राशि का भुगतान नहीं किया था एवं 36 पट्टेदारों द्वारा अप्रैल 2011 से मार्च 2015 की अवधि हेत अनिवार्य किराए की राशि का कम भुगतान किया गया। परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.13 करोड़ के अनिवार्य किराए की कम प्राप्ति हुई।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर (अप्रैल 2015 एवं जनवरी 2016 के मध्य) जिला खनिज अधिकारी डिंडौरी द्वारा ₹ 40,000 की वसूली प्रतिवेदित की; जिला खनिज अधिकारी कटनी द्वारा बताया कि उत्खनि पट्टों पर ₹ नौ लाख एवं खनि पट्टों पर ₹ 8.20 लाख की वसूली की जा चुकी है एवं शेष राशि के लिए मांग पत्र जारी किए गए हैं एवं अन्य जिला खनिज अधिकारियों ने बताया कि संवीक्षा के पश्चात् लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा, एवं भुगतान योग्य राशि की वसूली की जायेगी।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को (सितम्बर 2015 एवं अप्रैल 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं उनके उत्तर (जुलाई 2016) में बताया कि उत्खनि पट्टों पर ₹ 37.99 लाख के अनिवार्य किराए की वसूली पांच जिला खनिज अधिकारियों[5] द्वारा की गई एवं खनि पट्टों पर ₹ 0.35 लाख की वसूली जिला खनिज अधिकारी नीमच एवं शहडोल द्वारा की गई एवं अन्य प्रकरणों में संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा वसूली की कार्यवाही की जा रही है। विभाग द्वारा बैठक (सितम्बर 2016) में बताया कि राशि की वसूली की जाएगी।

[4] छतरपुर, डिंडौरी, जबलपुर, कटनी, खरगोन, मंदसौर, मुरैना, नीमच, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली एवं टीकमगढ

[5] डिंडौरी, खण्डवा, नीमच, शहडोल एवं उज्जैन

5.9 व्यापारिक खदानों में संविदा राशि की वसूली न होना/कम वसूली होना

विभाग द्वारा 15 ठेकेदारों से व्यापारिक खदानों के अनुबंध के लिए वसूली योग्य राशि ₹ 81.96 लाख के विरूद्ध संविदा राशि मात्र ₹ 23.16 लाख की वसूली की गयी। परिणामस्वरूप संविदा राशि ₹ 58.80 लाख की वसूली नहीं हुई/कम वसूली हुई।

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम, 37(1) एवं संविदा अनुबंध की शर्त क्रमांक 5(1) एवं 9 के तहत् व्यापारिक खदानों के ठेकेदारों को उनके संविदा अनुबंध में अधिसूचित दिनांक को संविदा राशि का भुगतान राज्य शासन को करना होता है। यदि, संविदा राशि का भुगतान एक माह से अधिक अवधि तक नहीं होता है तो ठेका निरस्त कर दिया जायेगा एवं खदान की पुनर्नीलामी की जायेगी। इसके फलस्वरूप खदान की पुनर्नीलामी होने पर, यदि शासन को कोई हानि होती है तो वह चूककर्ता ठेकेदार से भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जायेगी, परन्तु इसके पूर्व ठेकेदार को 30 दिवस में अतिदेय राशि जमा करने हेतु सूचना पत्र जारी किया जायेगा।

हमने तीन जिला खनिज कार्यालयों[6] की 31 व्यापारिक खदानों की नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (नवम्बर 2015 से जनवरी 2016 के मध्य) की अवधि 2012–2015 हेतु ठेकाधन भुगतान के लिए देय राशि ₹ 81.96 लाख के विरूद्ध ठेकेदारों द्वारा केवल राशि ₹ 23.16 लाख का भुगतान किया गया था। परिणामस्वरूप 15 ठेकेदारों से संविदा राशि ₹ 58.80 लाख की वसूली नहीं हुई/कम वसूली हुई। इन 15 ठेकेदारों में से जिला खनिज अधिकारी पन्ना के 11 ठेकेदारों द्वारा संविदा राशि का कोई भुगतान नहीं किया। जिला खनिज अधिकारी द्वारा निर्धारित एक माह पश्चात् व्यापारिक खदानों को निरस्त करने की कार्यवाही की जानी चाहिये थी। जिला खनिज अधिकारी नियमों के अनुसार व्यापारिक खदान की नीलामी निरस्त करने की कार्यवाही कर पुनर्नीलामी करने में विफल रहे।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को (जनवरी 2016 एवं जून 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। विभाग द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं उनके उत्तर (जुलाई 2016) में बताया कि जिला खनिज अधिकारी राजगढ़ द्वारा राशि ₹ 1.42 लाख की वसूली की गई एवं अन्य प्रकरणों में संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा वसूली की कार्यवाही की जा रही हैं। विभाग द्वारा बैठक (सितम्बर 2016) में बताया कि राशि की वसूली की जाएगी।

5.10 खनि पट्टे पर रॉयल्टी की कम वसूली

एक पट्टेदार ने खनिजों के उपभोग/परिवहन हेतु अवधि जून 2013 से मार्च 2015 के मध्य खनि पट्टों पर देय रॉयल्टी की राशि ₹ 3.69 करोड़ के विरूद्ध रॉयल्टी राशि ₹ 3.29 करोड़ का भुगतान किया, परिणामस्वरूप ₹ 40 लाख के राजस्व की कम वसूली हुई।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के अनुसार, खनि पट्टे से सम्बन्धित प्रत्येक पट्टेधारक को उसके द्वारा हटाये गये या उपयोग किए खनिजों के लिए अनुसूची–II में निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान करना होगा। आगे, संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म द्वारा सितम्बर 2005, में निर्देश जारी किये गये कि प्रत्येक छमाही अर्थात् जनवरी से जून एवं जुलाई से दिसम्बर का कर निर्धारण क्रमशः 30 जुलाई एवं 31 जनवरी तक पूर्ण हो जाना चाहिए।

[6] गुना, पन्ना एवं राजगढ़

हमने जिला खनिज कार्यालय कटनी के पट्टेदारों की नस्तियां, कर निर्धारण एवं वार्षिक उत्पादन विवरण की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (जून 2015) कि मुख्य खनिजों के 80 पट्टेदारों की नमूना जांच में से एक पट्टेदार द्वारा जून 2013 से मार्च 2015 की अवधि के लिए भुगतान योग्य राशि ₹ 3.69 करोड़ के विरूद्ध ₹ 3.29 करोड़ का रॉयल्टी का भुगतान किया। जिला खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया कि पट्टेदार द्वारा विभाग को प्रतिवेदन एवं अभिलेख समय पर प्रस्तुत नहीं किए, इसलिए रॉयल्टी की वसूली नहीं हुई। यदि डी.जी.एम. के निर्देशों के अनुसार जिला खनिज अधिकारी द्वारा समय पर विवरणियों की संवीक्षा की गई होती तो रॉयल्टी की कम वूसली को टाला जा सकता था। परिणामस्वरूप ₹ 40 लाख के राजस्व की कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर (जून 2015); जिला खनिज अधिकारी कटनी द्वारा (अप्रैल 2016) पूर्ण राशि की वसूली प्रतिवेदित की गई। यद्यपि वसूली के विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं किए गये (अक्टूबर 2016)।

5.11 जारी किये गये अस्थायी अनुज्ञापत्र के विरूद्ध रॉयल्टी की वसूली न होना/कम वसूली होना

जिला खनिज अधिकारी, तीन ठेकेदारों से अग्रिम रॉयल्टी ₹ 31.00 लाख की वसूली करने में विफल रहे जिन्हें शासकीय कार्य के लिए गौण खनिज के खनन, हटाने एवं परिवहन करने की अनुमति दी गयी थी।

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 68 (1) के अनुसार कलेक्टर किसी विनिर्दिष्ट खदान अथवा भूमि पर किसी भी गौण खनिज जिसकी किसी विभाग एवं केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के किसी विभाग के उपक्रम के कार्यो के लिये आवश्यकता हो उत्खनन करने, हटाने तथा परिवहन के लिये अनुज्ञा दे सकेगा। उप–नियम (3) के अंतर्गत ऐसी अनुज्ञा तभी दी जायेगी जबकि अनुसूची–III में विनिर्दिष्ट दरों पर संगणित अग्रिम रॉयल्टी का भुगतान कर दिया गया हो।

हमने अवधि 2012–15 हेतु तीन जिला खनिज कार्यालयों[7] के प्रकरणों की नस्तियों एवं ठेकेदारों को जारी स्थायी अनुज्ञापत्रों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (अप्रैल 2015 एवं नवम्बर 2015 के मध्य) कि 13 अस्थाई अनुज्ञापत्रों में से नमूना जांच किये गये चार अस्थाई अनुज्ञापत्र तीन ठेकेदारों को शासकीय निर्माण कार्य में खनिज के उपयोग हेतु जारी किये गये। जिला खनिज अधिकारियों द्वारा सम्पूर्ण भुगतान योग्य अग्रिम रॉयल्टी की वसूली किए बगैर अपूर्ण भुगतान के विरूद्ध ठेकेदारों को अनुज्ञापत्र जारी किये गये। परिणामस्वरूप विभाग द्वारा ₹ 71 लाख के विरूद्ध ₹ 40 लाख की वसूली की गई, इस प्रकार राशि ₹ 31 लाख की कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा प्रकरण इंगित किए जाने पर (अप्रैल एवं नवम्बर 2015 के मध्य), जिला खनिज अधिकारी कटनी द्वारा उत्तर दिया गया कि भुगतान योग्य राशि की वसूली हेतु मांग पत्र जारी किए गए एवं जिला खनिज अधिकारी मंदसौर द्वारा बताया गया कि भुगतान योग्य राशि की वसूली कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा तथा जिला खनिज अधिकारी सतना द्वारा बताया गया कि संवीक्षा पश्चात् वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को (दिसम्बर 2015 एवं अप्रैल 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया गया एवं उनके उत्तर (जुलाई 2016) में बताया कि संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा वसूली की कार्यवाही की जायेगी। यद्यपि विभाग द्वारा बैठक (सितम्बर 2016) में बताया

[7] कटनी, मंदसौर एवं सतना

गया कि अस्थायी अनुज्ञा प्रकरणों में विभाग द्वारा उत्खनित मात्रा के आधार पर वसूली की जा रही है।

विभाग का उत्तर मान्य किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 68 (1) के प्रावधानों के अनुसार अस्थायी अनुज्ञापत्रों के प्रकरणों में रायल्टी की वसूली हमेशा अग्रिम के रूप में की जानी चाहिए।

5.12 उत्खनि पट्टों पर अनिवार्य किराए के विलंबित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण

विभाग द्वारा नियमों के प्रावधानों के अनुसार उत्खनि पट्टों से संबंधित 147 पट्टेदारों द्वारा रॉयल्टी/अनिवार्य किराये के विलंबित भुगतानों पर ब्याज ₹ 29.72 लाख का आरोपण नहीं किया।

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियमावली के नियम 30(1)(घ) के अनुसार, उत्खनि पट्टों के प्रत्येक पट्टाधारी को वर्ष के प्रथम माह की 20 तारीख या इससे पूर्व राज्य शासन को उप–नियम (क) एवं (ख) के अनुसार अनिवार्य किराये या रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित है जिसमें विफल रहने की स्थिति में पट्टाधारी, नियमों के अंतर्गत उसके विरूद्ध की जाने वाली किसी दाण्डिक कार्रवाई के अतिरिक्त, भुगतान न किये जाने तक 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज का भुगतान का दायी होगा।

हमने 16 जिला खनिज कार्यालयों[8] में उत्खनि पट्टों से संबंधित अनिवार्य किराये तथा रॉयल्टी की प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (मई 2015 तथा फरवरी 2016 के मध्य) कि नमूना जांच किये गये, 527 पट्टेदारों में से 147 पट्टेदारों द्वारा अप्रैल 2011 एवं मार्च 2015 के मध्य अनिवार्य किराये का भुगतान आठ दिनों से 1,165 दिनों के विलम्ब से किया। विभाग द्वारा विलंबित भुगतानों पर कोई ब्याज आरोपित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप विलंबित भुगतानों पर राशि ₹ 30.13 लाख के ब्याज की वसूली नहीं हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (मई 2015 और फरवरी 2016 के मध्य) जिला खनिज अधिकारी होशंगाबाद ने भुगतान योग्य ब्याज राशि ₹ 73,000 में से ₹ 41,000 की वसूली कर ली। जिला खनिज अधिकारी हरदा ने बताया कि ब्याज राशि ₹ 11,427 की वसूली की जा चुकी है, एवं शेष राशि हेतु मांग पत्र जारी किए गए हैं। जिला खनिज अधिकारी कटनी ने बताया कि राशि ₹ 18,944 की वसूली की जा चुकी है, शेष राशि हेतु मांग पत्र जारी किए गए हैं जबकि अन्य जिला खनिज अधिकारियों ने बताया कि भुगतान योग्य राशि की वसूली कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। राशि ₹ 29.42 लाख वसूली हेतु लंबित है (अप्रैल 2016)।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को (दिसम्बर 2015 एवं अप्रैल 2016 के मध्य) प्रतिवेदित किया। विभाग द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं उत्तर (जुलाई 2016) में बताया कि संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा वसूली की कार्यवाही की जा रही है। विभाग द्वारा बैठक (सितम्बर 2016) में बताया कि राशि की वसूली की जाएगी।

8 अलीराजपुर, अनूपपुर, डिंडौरी, गुना, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, झाबुआ, खण्डवा, खरगोन, कटनी, मुरैना, पन्ना, सीधी, सिंगरौली एवं उज्जैन

5.13 उत्खनि पट्टों पर रॉयल्टी की वसूली नहीं किया जाना/कम वसूली किया जाना

उन्नीस पट्टेदारों ने खनिजों के उपभोग/परिवहन हेतु अवधि जनवरी 2008 से मार्च 2015 के मध्य देय रॉयल्टी की राशि ₹ 57.92 लाख के विरूद्ध रॉयल्टी राशि ₹ 42.09 लाख का भुगतान किया, परिणामस्वरूप ₹ 15.83 लाख की रॉयल्टी कम वसूली गई।

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियमावली के नियम 30(1)(क) के अनुसार, उत्खनि के प्रत्येक पट्टाधारी द्वारा वर्ष के प्रथम माह की 20 तारीख को या इससे पूर्व राज्य शासन को अनिवार्य किराये या राजस्व का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। आगे, मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 30 (1)(ख) में उल्लिखित उत्खनित पट्टे की सामान्य शर्तों के अनुसार पट्टेदार प्रत्येक खनिज के सम्बन्ध में, अनिवार्य किराया या रॉयल्टी में जो भी अधिक हो, का भुगतान करेगा लेकिन दोनों का नहीं। पट्टेदार पट्टा क्षेत्र से उपयोग या परिवहन किये जाने हेतु खनिज की मात्रा के सम्बन्ध में रॉयल्टी का भुगतान करेगा, यदि उसके द्वारा पूर्व में भुगतान की गई अनिवार्य किराये की राशि उपयोग या परिवहित किये गये खनिज की मात्रा रॉयल्टी के बराबर हो जाती है।

हमने नौ जिला खनिज कार्यालयों[9] के उत्खनि पट्टाधारियों से सम्बन्धित प्रकरण नस्तियों तथा विवरणियों से अवलोकित किया (मई 2015 एवं जनवरी 2016 के मध्य) कि नमूना जांच किये गये 344 पट्टेदारों में से 19 पट्टेदारों ने अवधि जनवरी 2008 एवं मार्च 2015 के मध्य हटाये गये खनिजों पर भुगतान योग्य राशि ₹ 57.92 लाख के विरूद्व ₹ 42.09 लाख के रॉयल्टी का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.83 लाख के रॉयल्टी की प्राप्ति नहीं हुई। विभागीय निर्देशों के अनुसार जिला खनिज अधिकारियों द्वारा विवरणियों की जांच समय पर नहीं की गई एवं अतः उत्खनि पट्टों पर देय रॉयल्टी की वसूली नहीं की गई/कम वसूली की गई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (मई 2015 और जनवरी 2016 के मध्य) जिला खनिज अधिकारी हरदा ने बताया कि देय राशि हेतु मांग पत्र जारी किए गए हैं; जिला खनिज अधिकारी अलीराजपुर, पन्ना एवं सिंगरौली ने बताया कि देय राशि की वसूली कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा एवं अन्य जिला खनिज अधिकारियों ने बताया कि संवीक्षा कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को अप्रैल 2016 में प्रतिवेदित किया। विभाग द्वारा लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं उनके उत्तर (जुलाई 2016) में बताया कि जिला खनिज अधिकारी राजगढ़ एवं हरदा द्वारा ₹ 5.47 लाख की वसूली की गई है एवं अन्य प्रकरणों में संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा वसूली की कार्यवाही की जाएगी। विभाग द्वारा बैठक (सितम्बर 2016) में बताया कि राशि की वसूली की जाएगी।

[9] अलीराजपुर, अनूपपुर, गुना, हरदा, झाबुआ, पन्ना, राजगढ़, सिवनी एवं सिंगरौली